

न्यायालय-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड जिला बड़वानी

समक्ष-श्रीमती वंदना राज पांडेय

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 908 / 1996
संस्थित दिनांक-13.11.1996

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा-

आरक्षी केन्द्र-ठीकरी, जिला बड़वानी म.प्र.

.....अभियोजन

वि रू द्ध

1. देवीदास पिता नरसिंह पाटील,
आयु-69 वर्ष, जाति-गुजर,
निवासी-ग्राम प्रकाशा सोनार गली,
तहसील शहादा, जिला धुलिया,
महाराष्ट्र
2. विजयसिंग पिता जगन्नाथसिंग सोलंकी,
आयु-47 वर्ष, निवासी-ग्राम हतनावर,
जिला धार
3. राजेश बाबु पिता रामप्रकाश शर्मा,
आयु-45 वर्ष, निवासी ग्राम मुरदी
रोड़ गंज, सीहोर, जिला सीहोर
4. विजय शंकर पिता मुन्नीलाल यादव,
आयु-40 वर्ष, निवासी ग्राम मुरदी
रोड़ गंज, सीहोर, जिला सीहोर
5. देवेन्द्र कुमार पिता रामधार गुहा,
आयु-48 वर्ष, निवासी ग्राम खेड़ीपुरा,
थाना हरदा, जिला होशंगाबाद
6. बैचन प्रसाद पिता मोतीप्रसाद शर्मा,
आयु-50 वर्ष, व्यवसाय-मजदूरी
निवासी ग्राम पांडेय वरदार,
जिला पडरोना उत्तरप्रदेश
7. राजीव रंजन पिता चंद्रमोहन मिश्रा,
आयु-45 वर्ष, व्यवसाय-काश्तकारी,
निवासी ग्राम मढ़िया जिराव मोतीहारी,
थाना छतौनी, बिहार
8. चतुर्वेदी वर्माया पिता एस.एन. वर्माया
आयु-56 वर्ष, निवासी गोपालपुर
नेउरा जिला मुजफ्फरपुर बिहार

.....अभियुक्तगण

9. प्रदीप कुमार पिता बच्चा चौबे,
आयु-35 वर्ष, निवासी रानाडीह
जिला गढ़वा बिहारअभियुक्तगण फरार

अभियोजन द्वारा	- श्री अकरम मंसूरी ए.डी.पी.ओ. ।
अभियुक्तगण द्वारा	- श्री सैफी शाद, श्री सुनील पंडित एवं श्री संजय गुप्ता अधिवक्ता ।

-: निर्णय :-
(आज दिनांक 26/02/2016 को घोषित)

1. पुलिस थाना ठीकरी के अपराध क्रमांक 159/1995 के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध दिनांक 23.01.95 से 25.03.95 के दौरान 'नर्मदा शुगर लिमिटेड, घटवा' ठीकरी को बेईमानी से उत्प्रेरित कर, बिना गन्ना सप्लाई किये हुए, मिथ्या व्यक्तियों के नाम से गन्ना की आवक दिखाकर चेक द्वारा धनराशि का भुगतान कर छल करने, सह-अभियुक्तों के साथ मिलकर अपने सामान्य आशय की पूर्ति में उक्त चेक की राशि का भुगतान प्राप्त करने, उक्त गन्ने की सप्लाई के लिये मिथ्या बिल बनाकर चेकों पर हस्ताक्षरों की कूट-रचना कारित करने, अन्य सह-अभियुक्तों के साथ मिलकर उक्त चेकों की कूट-रचना छल करने के प्रयोजन से कारित करने तथा गन्ने की सप्लाई के संबंध में असत्य दस्तावेजों की कूट-रचना कर उसका प्रयोग करने के लिये भा.द.वि. की धारा-420, 420/34, 467, 467/34, 468, 468/34 तथा धारा-477(क) के अंतर्गत विचारण है ।
2. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि अभियुक्त देवीदास पाटील उक्त नर्मदा शुगर मिल घटवा में मुख्य गन्ना अधिकारी के पद पर था तथा उक्त मिल द्वारा अंजड़, खलघाट, बालसमुद एवं ठीकरी पर गन्ना खरीदी के केन्द्र खोले गये थे एवं साक्षी सीताराम शर्मा (अ.सा.3) अभियुक्तों को जानता है । यह तथ्य भी स्वीकृत है कि पुलिस द्वारा अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था ।
3. अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 23.05.95 को सीताराम शर्मा जो 'नर्मदा शुगर लिमिटेड' में एकाउंट्स ऑफिसर के पद पर कार्यरत था, ने उक्त कंपनी की ओर से यह लिखित रिपोर्ट थाना प्रभारी ठीकरी को प्रस्तुत की कि दिनांक 08.05.95 को स्टेट बैंक ऑफ इंदौर शाखा बड़वानी से उनके इंदौर कार्यालय में फोन आया कि सोहन मंडलोई नाम के किसान को उनके द्वारा एक चेक के भुगतान में रुपये 6,000/- का अधिक भुगतान कर दिया गया है, इसलिए वे लोग रकम वसूल करने में बैंक की सहायता करें । उनके द्वारा सोहन मंडलोई के पते पर ग्राम अछोदा तहसील मनावर में जानकारी प्राप्त की तो पता चला कि इस नाम का कोई व्यक्ति इस गांव में नहीं रहता है, सोहन मंडलोई के वाहन का नंबर जो उनकी कंपनी के गेट रजिस्टर में लिखा था, उसकी जांच की तो बैंक ने बताया कि उक्त नंबर किसी दुपहिया वाहन का है, इस प्रकार उक्त भुगतान फर्जी प्रतीत होने से उनके द्वारा कड़ी जांच की

तो यह तथ्य प्रकट हुआ कि घटवा शुगर मील के कुछ कर्मचारियों द्वारा आपस में मिलकर लगभग 20 लाख रुपये का गबन किया गया है, जिनमें श्री डी.एन. पाटील जो उनकी कंपनी में मुख्य गन्ना विकास अधिकारी थे, उन्होंने दिनांक 30.03.95 को त्याग-पत्र दे दिया था, उसके तत्काल अधीनस्थ इन्द्रास पाटील गन्ना विकास अधिकारी थे, श्री चतुर्वेदी गन्ना विकास सहायक एवं तौल लिपिक श्री बेचनप्रसाद शर्मा, श्री राजीव रंजन मिश्रा, श्री विजय शंकर यादव, श्री राजेश बाबू शर्मा एवं श्री विजयसिंह सोलंकी गन्ना सहायक थे । फैक्ट्री के मुख्य द्वार पर श्री प्रदीप चौबे एवं अन्य गार्ड रहते थे, इसके अतिरिक्त कंप्यूटर पर बिल बनाने का काम श्री ए.के. गुहा करते थे । उनकी प्रारंभिक जांच में श्री इन्द्रास पाटील का इस गबन में हाथ होना प्रतीत नहीं होता है, किन्तु शेष उपरोक्त व्यक्ति इस गबन के दोषी प्रतीत होते हैं ।

4. उनकी फैक्ट्री में किसान लोग अपना गन्ना लेकर अपने वाहन से आते हैं, जिसका इंद्राज सुरक्षा गार्ड द्वारा गेट रजिस्टर में किया जाता है, उसके बाद वाहन काटे पर वजन के लिये जाते हैं, वहां तौल लिपिक उनका वजन करते हैं, जो 3 प्रतियों में नोट कर, दो प्रति किसान को दी जाती है तथा तीसरी प्रति कंप्यूटर में भेजी जाती है, कंप्यूटर वाली प्रति के आधार पर कंप्यूटर में बिल बनाया जाता है तथा इस बिल को तौल काटे के रजिस्टर और गेट के रजिस्टर से श्री डी.एन. पाटील द्वारा चेक किया जाता था, चैकिंग के आधार पर संबंधित कृषक के नाम पर ऑर्डर के चेक श्री चतुर्वेदी द्वारा तैयार किये जाते थे, जो मैनेजमेंट द्वारा दस्तखत होकर संबंधित कृषक की पहचान कर सही कृषक को देने हेतु श्री डी.एन. पाटील को दिये जाते हैं और श्री डी.एन. पाटील प्रत्येक कृषक की व्यक्तिगत पहचान कर चेक के पीछे उस कृषक के हस्ताक्षर कराकर सत्यापन करते हैं और उस पर श्री डी.एन. पाटील भी हस्ताक्षर करते हैं ।

5. आवेदन में यह तथ्य भी उल्लेखित था कि दिनांक 23 जनवरी 1995 से 25 मार्च 1995 के बीच लगभग 250 प्रकरणों में ऐसा प्रतीत होता है कि, जो गन्ना फैक्ट्री में आया ही नहीं, उसके आने बाबद् गेट पर झूठा इंद्राज श्री प्रदीप कुमार चौबे गार्ड एवं श्री चतुर्वेदी वर्माया व अन्य व्यक्तियों द्वारा किया गया है और उनकी तौल काटे पर फर्जी परिवहन पर्ची श्री चतुर्वेदी एवं अन्य गन्ना विभाग के कर्मचारियों द्वारा बनायी गयी, फर्जी वजन स्लिप बनाने का कार्य श्री बेचन प्रसाद शर्मा, श्री राजीव रंजन मिश्रा, श्री राजेश बाबू शर्मा, श्री विजयशंकर यादव एवं श्री विजय सोलंकी तौल लिपिकों ने किया । उसका सत्यापन कंप्यूटर पर झूठे बिल बनाकर श्री डी.एन. पाटील द्वारा किया गया, इन चेकों का भुगतान श्री डी.एन. पाटील द्वारा ऐसे कृषकों को होना बताया गया जो वास्तव में थे ही नहीं और उनके हस्ताक्षर श्री डी.एन. पाटील द्वारा सत्यापित किये गये । यहां तक कि दिनांक 30.03.95 को नौकरी छोड़ने के बाद दिनांक 10.04.95 को भी श्री डी.एन. पाटील द्वारा कुछ चेकों पर फर्जी कृषकों के दस्तखत सत्यापित किये गये, जबकि इन चेकों पर संबंधित कृषकों के दस्तखत थे ही नहीं । इस प्रकार उक्त अभियुक्तों ने मिलकर यह गबन किया है । उनके द्वारा जांच पड़ताल एवं पूछताछ की गयी । श्री चतुर्वेदी वर्माया से कड़ी पूछताछ करने पर उसने श्री डी.एन. पाटील द्वारा दिनांक 10.04.95 को सत्यापित नौ चेक तथा 55 वजन पर्ची एवं एक स्टेटमेंट सौंपा है तथा और जानकारी देने का आश्वासन दिया है, किंतु उसके बाद से उक्त व्यक्ति गायब हो गया है, दिनांक 15.05.95 को वह धामनोद में दिखायी दिया था, उस दिन उसे बुलाकर पूछताछ करने पर यह कागज प्राप्त हुए हैं । अब वह व्यक्ति फरार हो गया

है। तौल लिपिक श्री राजीव रंजन मिश्रा से भी फैक्ट्री में कड़ी पूछताछ करने पर उसने एक लिखित बयान देकर उक्त गबन के षड्यंत्र में शामिल होना स्वीकार किया है। अतः उक्त विषय में उचित कार्यवाही की जाए।

6. उक्त लेखी रिपोर्ट प्र.पी.11 के आधार पर थाना ठीकरी में अपराध क्रमांक 159/95 दर्ज कर विवेचना में लिया गया तथा संबंधित दस्तावेज एवं रेकार्ड फैक्ट्री के ऑफिस से जप्त किया गया। अभियुक्तों के नमूना हस्ताक्षर प्राप्त कर जांच के लिये हस्तलेख विशेषज्ञ पुलिस मुख्यालय भोपाल को भेजे गये। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये, अभियुक्तों को गिरफ्तार कर विवेचना पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में पेश किया गया।

7. उक्त अनुसार मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा अभियुक्तगण पर भा.द.वि. की धारा-420, 420/34, 467, 467/34, 468, 468/34 तथा धारा-477(क) के आरोप लगाये जाने पर अभियुक्तगण द्वारा अपराध अस्वीकार किया गया तथा द.प्र.सं की धारा-313 के अंतर्गत किये गये परीक्षण में अभियुक्तगण का कथन है कि वे निर्दोष हैं, उन्हें झूठा फँसाया गया है।

8. विचारणीय प्रश्न निम्न उत्पन्न होते हैं :-

क्र.	विचारणीय प्रश्न
1	क्या अभियुक्तों ने दिनांक 23.02.95 से लेकर दिनांक 25.03.95 के मध्य नर्मदा शुगर लिमिटेड घटवां ठीकरी में पदस्थ रहते हुए अन्य सह-अभियुक्तों के साथ मिलकर सामान्य आशय का निर्माण कर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में नर्मदा शुगर लिमिटेड को बेईमानी से उत्प्रेरित कर बिना गन्ने का सप्लाई किये हुए मिथ्या व्यक्तियों के नाम से गन्ने की आवक दिखाकर चेक द्वारा धनराशि का भुगतान कर उसके साथ छल कारित किया ?
2	क्या अभियुक्तों ने उक्त दिनांक, स्थान एवं समय के दौरान अपने सामान्य आशय का निर्माण करते हुए उक्त सामान्य आशय को अग्रसर करने में मिथ्या कृषकों के नाम से बिना गन्ना सप्लाई किये, तौल की पर्चियां बनाकर मिथ्या बिल बनाकर उनको भुगतान हेतु चेक पर प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर बनाकर कूट-रचना कारित की ?
3	क्या अभियुक्तों ने उक्त दिनांक, स्थान एवं समय के दौरान गन्ना सप्लाई किये हुए तौल पर्चियों के आधार पर भुगतान हेतु कूट-रचित चैकों पर हस्ताक्षरों की कूट-रचना छल के प्रयोजन करने के आशय से की ?
4	क्या अभियुक्तों ने उक्त दिनांक, स्थान एवं समय के दौरान नर्मदा शुगर लिमिटेड में नियोजित रहते हुए गन्ना सप्लाई की

	तौल पर्ची, बिल रजिस्टर में प्रविष्टियां, गन्ना खरीदी की रिपोर्ट, भुगतान हेतु चेक पर कृषकों के हस्ताक्षर उक्त कंपनी के साथ गबन कारित करने के आशय से किया ?
5	निष्कर्ष एवं दण्डादेश ?

-: साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार :-

9. अभियोजन की ओर से अपने समर्थन में सुरेश (अ.सा.1), साबीर (अ.सा.2), सीताराम शर्मा (अ.सा.3), अशोक (अ.सा.4), महादेव (अ.सा.5), अनिल (अ.सा.6), दादूराम (अ.सा.7), कृष्णमुरारी त्रिपाठी (अ.सा.8), प्रधान आरक्षक ओमप्रकाश (अ.सा.9), निरीक्षक राकेश कुमार नयन (अ.सा.10), ए.के. दास (अ.सा.11), चैतन्य कुमार वर्मा (अ.सा.12) का परीक्षण कराया गया है । अभियुक्तगण की ओर से बचाव में अभियुक्त देवीदास पाटील ने द.प्र.सं. की धारा-315 के अंतर्गत स्वयं का परीक्षण कराया है तथा थाना अंजड़ के प्रधान आरक्षक पीरचंद चौधरी का भी परीक्षण कराया गया है ।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 लगायत 4 का निराकरण :-

10. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में साक्षी सीताराम शर्मा (अ.सा.3) का कथन है कि वह अभियुक्तों को जानता है । अभियुक्त देवीदास मुख्य गन्ना अधिकारी, राजु रंजन मिश्रा तौल क्लर्क, चतुर्वेदी वर्माया गन्ना सहायक, प्रदीप कुमार चौबे सुरक्षा गार्ड, बेचनप्रसाद तौल क्लर्क, राजेश बाबू तौल क्लर्क, ए.के. गुहा कंप्यूटर ऑपरेटर, विजय, विजय शंकर तौल क्लर्क के पद पर पदस्थ थे तथा वह एकाउंट्स ऑफिसर के पद पर दिनांक 10 मार्च 1994 को कार्यरत था । शुगर मील को स्टेट बैंक ऑफ इंदौर शाखा बड़वानी के कैशियर ने सूचना दी कि सोहन मंडलोई ग्राम अछोदा को 6,000/-रुपये का भुगतान अधिक हो गया है, जिसे उनकी फैक्ट्री से गन्ने के भुगतान हेतु चैक दिया गया । जब उन्होंने सोहन मंडलोई नाम के व्यक्ति की खोजबीन की तो पता चला कि इस नाम का कोई व्यक्ति ग्राम अछोदा में नहीं है और ना ही गन्ना उत्पादक है । उनको जांच में यह ज्ञात हुआ था वजन पर्ची में जिस वाहन का नंबर लिखा था, वह किसी मोटरसायकल का नंबर था, चार पहिया वाहन का नंबर नहीं था, इससे उन्हें शक हुआ था कि उनके गन्ना विभाग में झूठी पर्ची बनाई गयी है तथा झूठा तौल बताया गया है तथा इस प्रकार विभाग में गबन हो रहा है । देवीदास पाटील उनकी कंपनी में अक्टोबर 1993 से कार्यरत था तथा 30 मार्च 1995 को त्याग-पत्र दे दिया था, उनकी फैक्ट्री में गन्ना खरीदी के केन्द्र 4 जगह अंजड़, खलघाट, बालसमुद एवं ठीकरी में बनाये गये थे, जिसमें गन्ना खरीदी हेतु अभियुक्त डी.एन. पाटील द्वारा सुपरवाईजर्स को गन्ना एवं वाहन की परमिट दी जाती थी । परमिट का इंड्राज उनके मेन गेट पर अभियुक्त प्रदीप चौबे द्वारा किया जाता था एवं अभियुक्त राजीव रंजन, बेचनप्रसाद और राजेश बाबू, ए.के. गुहा, विजय सोलंकी, विजयशंकर आदि के द्वारा तौल किया जाता था और उस तौल के आधार पर गन्ना पेराई के लिये डाला जाता था । गन्ने के तौल वजन की तीन पर्चियां बनायी जाती थीं, जिनमें से दो किसान को दी जाती थी तथा एक प्रति कंप्यूटर विभाग को दी जाती थी, जिससे बिल तैयार किया जाता था । कंप्यूटर विभाग में ए.के. गुहा द्वारा दैनिक रजिस्टर तैयार किया जाता था, जिस रजिस्टर को प्रतिदिन गन्ना सहायक चतुर्वेदी वर्माया और देवीदास

पाटील द्वारा प्रत्येक का वजन करके उनके हस्ताक्षर से भुगतान के लिये बिल बनाने हेतु कंप्यूटर में भेजा जाता था और प्रतिदिन की रिपोर्ट देवीदास के द्वारा दी जाती थी । उक्त बिल के आधार पर चेक बनाया जाता था तथा चेक देते समय अभियुक्त डी.एन. पाटील किसान के अपने समक्ष हस्ताक्षर कराके किसान की पहचान व सत्यापित करते थे और स्वयं के हस्ताक्षर भी करते थे । जांच में उन्हें पता चला कि लगभग 250—300 प्रकरणों में गन्ना फ़ैक्ट्री में आया नहीं, किंतु उनकी पर्चियां और बिल बनाकर फ़र्जी भुगतान करने हेतु किसानों को सत्यापित करके राशिया का गबन किया गया है ।

11. अभियुक्त डी.एन. पाटील द्वारा मार्च 1995 में नौकरी छोड़ने के बाद भी अप्रैल माह में फ़र्जी किसानों को सत्यापित करके बैंक से भुगतान कराया गया, उन्होंने अभियुक्त चतुर्वेदी से कड़ी पूछताछ की तो उसने बताया कि डी.एन. पाटील द्वारा 55 वजन पर्ची और फ़र्जी बिलों का विवरण उसके पास है, जो उसके द्वारा दिया गया, इस प्रकार कुल 20 से 22 लाख रुपये का गबन अभियुक्तों द्वारा शुगर फ़ैक्ट्री में किया गया । उसके द्वारा घटना की लेखी रिपोर्ट कंपनी द्वारा अधिकृत करने पर थाना ठीकरी पर की थी, जो प्र.पी.11 की है, जो 4 पृष्ठों में है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं । चतुर्वेदी द्वारा दी गयी 55 वजन पर्ची और स्टेटमेंट पुलिस को दिये थे, जो पुलिस ने जप्त किये थे । साक्षी ने जप्ती पंचनामे प्र.पी.12 पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर भी स्वीकार किये हैं ।

12. साक्षी ने यह भी कथन किया है कि दिनांक 08.01.96 को दिन के लगभग 12 बजे ठीकरी थाने पर उसने मेन गेट रजिस्टर 3, वजन रजिस्टर 3, डी.एन. पाटील, चतुर्वेदी वर्माया द्वारा सत्यापित किसानों के बिल, परिवहन पर्ची, वजन पर्ची, गन्ना खरीदी की फोटोकॉपी, कंप्यूटर द्वारा निकाली गयी किसानों की सुची, पेमेंट एडवांस रजिस्टर प्र.पी.10 के अनुसार जप्त किये गये थे, जिसके डी से डी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं । दिनांक 05.05.96 को थाना ठीकरी पर उससे फ़ैक्ट्री को किये गये आवेदन-पत्र जिनकी संख्या 6 थी प्र.पी.9 के अनुसार जप्त किये थे । दिनांक 11.09.95 को पुलिस ने फ़ैक्ट्री पर उससे 9 बैंक, वजन पर्ची और डिटेल प्र.पी.12 के अनुसार जप्त किये थे, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं । साक्षी का यह भी कथन है कि उसने पुलिस को प्र.पी.13 का पत्र और उसके दस्तावेज जो प्र.पी.14, प्र.पी.15, प्र.पी.16 एवं प्र.पी.17 हैं, जप्त कराये थे । प्र.पी.9 पर सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं ।

13. अभियुक्त देवीदास की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि सबसे पहले उसे स्टेट बैंक ऑफ इंदौर शाखा बड़वानी के द्वारा ही गड़बड़ी की जानकारी मिली थी, उक्त बैंक लिखित रूप से पत्र भी भेजा था, जो उनके इंदौर स्थित मुख्यालय पर मिला था, वह पत्र उसने पुलिस नहीं दिया था और उसने वह पत्र पढ़ा भी नहीं था । साक्षी ने स्वीकार किया कि बैंक ने यह कहा था कि कंप्यूटर से जो बैंक व्यक्ति के नाम से आया था, उसका अधिक भुगतान उन्होंने कर दिया, इसलिए उक्त भुगतान करवाने में फ़ैक्ट्री बैंक की मदद करे । बैंक ने 6,000/— रुपये का अधिक भुगतान करना बताया था । साक्षी ने स्वीकार किया कि बैंक का काउंटर पार्ट उनके पास रहता है और उक्त बैंक जिस बिल के एवज में बनाया जाता है, उसका उल्लेख रहता है और उक्त बिल से सारी जानकारी प्राप्त की जा सकती है । उसने उक्त बिल के आधार पर उक्त सोहनलाल का पुरा नाम, पता प्राप्त किया था और उन्होंने जांच की थी तो उन्हें पता चला था कि सोहनलाल मंडलोई नाम का कोई व्यक्ति

हैं ही नहीं, जो गन्ना बोता हो जिसने उन्हें फैक्ट्री में गड़बड़ी होने का अनुमान हुआ था। उनके चैक कंप्यूटर से बनाये जाते हैं, जो अभियुक्त डी.एन. पाटील द्वारा सत्यापित किये जाते हैं। साक्षी ने स्वीकार किया कि चैक के बारे में सूचना मिलने पर उसने डी.एन. पाटील से कोई पूछताछ नहीं की थी, क्योंकि वो नौकरी छोड़कर जा चुका था। साक्षी ने स्पष्ट किया कि सभी चैक डी.एन. पाटील द्वारा सत्यापित किये जाते थे, उसके बाद ही भुगतान होता था, इसलिए वह कहता है कि सोहनलाल वाला चैक भी डी.एन. पाटील द्वारा सत्यापित किया गया था।

14. साक्षी ने यह भी कथन किया है कि उसने वह चैक बैंक में जाकर देखा था। साक्षी ने स्वीकार किया है कि प्र.पी.11 का आवेदन उसने कहा टाईप करवाया था, उसे याद नहीं है तथा प्र.पी.11 के आवेदन में देवीदास नरसिंह पाटील और उसका वर्तमान पता उसके द्वारा हाथ से बाद लिखा गया था। साक्षी ने स्वीकार किया कि प्र.पी.11 में वाहन के नंबर का उल्लेख नहीं है और यह भी उल्लेख नहीं है कि सोहनलाल मंडलोई को कितने रूपयों का पैमेन्ट करना था और उसने उक्त चैक का आधा हिस्सा भी पुलिस को नहीं दिया था। साक्षी ने स्वीकार किया कि जब कोई वाहन माल लेकर उनके कारखाने में आता है तो उसमें नाम, पता और गाड़ी का नंबर सब कुछ लिखा जाता है। साक्षी ने स्पष्ट किया कि उन दिनों गन्ना अधिकारी अभियुक्त डी.एन. पाटील ही थे और उनके द्वारा संपूर्ण इंड्राज किये जाते थे। उक्त रजिस्टर उसने पुलिस को दिया था, जो आर्टिकल-ए का है, जिसमें दिनांक 24.02.95 के क्रमांक 17 में सोहन के नाम का उल्लेख है। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने पुलिस को यह भी जानकारी दी थी कि वाहन एम.पी.09 डी 6020 दुपहिया वाहन मोटरसायकल था, इसकी सूचना उसने पुलिस को दे दी थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि दिनांक 22.02.95 में प्रविष्टि क्रमांक 22 और दिनांक 24.02.95 में प्रविष्टि क्रमांक 17 में स्थान अछोदा नहीं बल्कि करोंदिया लिखा है और आर्टिकल-ए के रजिस्टर में सोहन के स्वयं के हस्ताक्षर नहीं हैं। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि वह नहीं बता सकता कि आर्टिकल-ए के रजिस्टर में उनके किस कर्मचारी द्वारा मैटेन किया गया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि सारे इंड्राज फरवरी माह के हैं और गड़बड़ी की जानकारी उसे मई माह में हुई थी। साक्षी ने स्वीकार किया कि उनके यहां प्रतिदिन बैंक बैलेंस शीट बनायी जाती है और कितना माल आया, कितनी खपत हुई और उसकी कितनी शकर बनी तथा कितना माल बचा है, इस सभी का इंड्राज गन्ना अधिकारी द्वारा किया जाता है। साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया कि वे लोग बेयरर चैक जारी करते थे। साक्षी ने स्वीकार किया कि बैंक से कभी भी कोई चैक वापस नहीं आया कि चैक बिना ऑर्डर का था। साक्षी ने इन्कार किया कि हर 15 दिनों में बैंक से उनके पास विवरण आता था, साक्षी ने स्पष्ट किया कि 2-3 माह में आता था और वह भी मांगने पर दिया जाता था। साक्षी ने स्वीकार किया कि उन्होंने अपने दस्तावेजों में दर्शाया है कि उनके यहां करीब रुपये 20 लाख का घोटाला हुआ तथा शेयर धारकों को भी मीटिंग में 20 लाख रुपये के गबन की जानकारी दी गयी थी, लेकिन ऑडिट में ऐसा उल्लेख नहीं है कि रुपये 20 लाख का गबन हुआ था। साक्षी ने स्वीकार किया कि रिपोर्ट दर्ज कराने के पहले इस बारे में उसकी ठीकरी थाने से कोई चर्चा नहीं हुई। साक्षी ने स्वीकार किया कि घटना होने पर उसने अपने स्तर पर कारखाने में जांच की थी। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने जांच में इंद्रास पाटील का हाथ गबन में नहीं होना पाया था और इसका उल्लेख प्र.पी.11 के प्रतिवेदन में किया है। साक्षी ने स्वीकार किया कि बाकी लोगों के खिलाफ उसे साक्ष्य मिल गयी थी, जो उसने पुलिस को दी थी। साक्षी

ने इस सुझाव से इन्कार किया कि उसने कथनों के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि गबन में किन-किन व्यक्तियों का हाथ है, बल्कि दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला था । साक्षी ने स्वीकार किया कि लगभग 250 मामलों में बिल बनाकर भुगतान किया गया था, जबकि वास्तव में उनका कोई भी माल फैक्ट्री में नहीं आया था और उन सभी 250 मामलों की सूची पुलिस को दे दी थी ।

15. साक्षी ने स्वीकार किया कि रजिस्ट्रों में आर्टिकल-ए, बी, सी के अलावा कंप्यूटर द्वारा बनाये गये बिल, वजन पर्ची और 9 चैक जिनका भुगतान होना शेष था, वह भी पुलिस को दे दिये थे । साक्षी ने स्वीकार किया कि जब उसके बयान पुलिस ने लिये थे, तब वह अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को नहीं ले गया था, लेकिन महादेव और चैतन्य कुमार उसके साथ गये थे । साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया कि उस दिन उसके साथ गिरधारीलाल का पुत्र राजेश भी था । साक्षी ने स्वीकार किया कि जो चैक चतुर्वेदी वर्माया ने उसे दिये वे भुगतान हेतु बैंक नहीं भेजे गये थे, उन चैकों का काउंटर पार्ट पुलिस को नहीं दिया था । साक्षी ने स्पष्ट किया कि उन रजिस्ट्रों में सिंगल नाम लिखा होना ही उसने उन प्रविष्टियों को बोगस होने का आधार माना है, अन्य कोई विशेष कारण नहीं है । साक्षी ने स्पष्ट किया कि उसे चतुर्वेदी वर्माया से प्राप्त 9 चैकों के बारे में भी अपने अभिलेख से यह बात मालूम कि वे बोगस हैं । साक्षी ने स्पष्ट किया कि उसने 9 चैक दिनांक 10.04.95 को प्राप्त करने के बाद भी पुलिस को प्र.पी.11 के साथ नहीं दिये थे । साक्षी ने स्पष्ट किया कि उसने यह सोचा था कि हो सकता है कि किसी किसान के पैसे लेना रह गया होगा । साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया कि आरोपी देवीदास ने दिनांक 03.03.95 को त्याग-पत्र दे दिया था और उसी दिन त्याग-पत्र मंजूर कर लिया था । साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने 250 मामलों की सूची पुलिस को दे दी थी और कंप्यूटर शीट भी दे दी थी । उनकी फैक्ट्री में बिल 3 प्रति में नहीं दो प्रति में बनते हैं । साक्षी ने स्पष्ट किया कि उसने स्वयं जाकर उक्त 250 मामलों में पता किया था कि उक्त नाम के कोई व्यक्ति हैं या नहीं, लेकिन कोई मिला नहीं, इसलिए वह कहता है कि उक्त व्यक्ति फर्जी थे । साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि प्र.पी.12 द्वारा जप्त कराये गये 9 चैक में से 1 के अलावा 8 चैक एक ही चैकबुक से जारी किये गये हैं । उनकी फैक्ट्री में व्यक्तियों का प्रवेश रेकार्ड नहीं रखा जाता है, केवल गन्ना लेकर जो किसान आता है, उसकी प्रविष्टि की जाती है । साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया कि उसने आरोपी देवीदास को अनावश्यक परेशान करने के लिये उसके विरुद्ध झूठा प्रकरण बनवाया है ।

16. अभियुक्त देवेन्द्र गुहा की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि चैक के अधिक भुगतान के बारे में जानकारी होने पर उसने तत्काल पुलिस को रिपोर्ट नहीं की थी । साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि अनेक बार एक ही नाम और एक ही उपनाम के कई व्यक्ति मिल जाते हैं । उसने अपनी जांच में किसी अन्य के कथन नहीं लिये थे और स्वयं के दस्तावेजों की जांच की थी । साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उनकी फैक्ट्री सरकारी संस्था नहीं हैं । साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया कि घाटे की पूर्ति किये जाने के उद्देश्य से जानबूझकर इस प्रकरण की रचना की गयी है अथवा उसने असत्य रूप से प्रकरण बनवाया है ।

17. शेष अभियुक्त राजेश, विजयशंकर की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि वजन पर्ची पर किसानों के जो नाम होते हैं,

उसका मिलान परमिट से किया जाता है । साक्षी ने गेट रजिस्टर जिसमें गन्ने की आवक दर्ज होती है, वह प्र.पी.23 और अभियुक्त प्रदीप कुमार चौबे द्वारा लिखना बताया है । साक्षी ने स्वीकार किया कि प्रबंधक द्वारा कृषकों को परमिट गन्ने की फसल तैयार होने के बाद दी जाती है । साक्षी ने स्वीकार किया कि फैक्ट्री में ड्यूटी चार्ट होता है, जिसमें यह उल्लेख होता है कि कौन अधिकारी कौन सा कर्मचारी कौन सा कार्य करेगा, लेकिन ड्यूटी बोर्ड इस प्रकरण में पेश नहीं किया गया है । साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया है कि अभियुक्त देवीदास बिल नहीं बनाता था, लेकिन साक्षी ने स्पष्ट किया कि बिल अधीनस्थ कर्मचारी बनाता था और उसका सत्यापन एवं भुगतान का प्रमाणीकरण देवीदास करता था । साक्षी ने इस प्रश्न का उत्तर कि जिन किसानों को भुगतान नहीं हुआ, उन्होंने आपसे कोई शिकायत की या नहीं, साक्षी ने उत्तर दिया था कि वे किसान थे ही नहीं । यह स्वीकार किया है कि गन्ना उनकी फैक्ट्री में गाड़ियों एवं ट्रैक्टर के अलावा बैलगाड़ियों से भी आता था । प्र.पी.1 से प्र.पी.10 तक की पर्चियां उनकी फैक्ट्री में छपी हुई नहीं हैं, बल्कि कंप्यूटर द्वारा बनायी गयी हैं, जिन पर ट्रक के नंबर आदि कंप्यूटर पर टाईप किये हैं एवं कृषकों के नाम एवं वाहनों के नंबर हाथ से लिखे हैं । साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया कि उनकी फैक्ट्री में गन्ना विभाग के अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट लिखे जाने के पहले जांच की गयी थी । साक्षी ने स्वीकार किया कि प्र.पी.1 से प्र.पी.110 की पर्चियों में आरोपी देवेन्द्र गुहा का नाम और हस्ताक्षर नहीं हैं, लेकिन साक्षी ने स्पष्ट किया कि उक्त पर्चियां देवेन्द्र ने ही कंप्यूटर से बनायी थी, उसके अलावा कोई नहीं बना सकता । साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया कि देवेन्द्र गुहा के अलावा अन्य कर्मचारी एवं अधिकारी कंप्यूटर अपने की-बोर्ड के माध्यम से चला सकते थे, साक्षी ने स्पष्ट किया कि उस समय उनकी फैक्ट्री में एक ही कंप्यूटर और तौल काटे का कनेक्शन कंप्यूटर से था, जिस पर देवेन्द्र गुहा का ही नियंत्रण था । साक्षी ने स्वीकार किया कि बैंक ने सोहन मंडलोई द्वारा फर्जी तौर से पैसे निकालने के बाद भी उनकी फैक्ट्री ने सोहन मंडलोई के नाम से कोई रिपोर्ट नहीं की । साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया कि वह अभियुक्तों को झूठा फँसा रहा है ।

18. साक्षी अशोक (अ.सा.4), महादेव (अ.सा.5) ने नर्मदा शुगर लिमिटेड घटवा में वर्ष 1994-95 के दौरान कार्यरत होने तथा पुलिस द्वारा फैक्ट्री में प्र.पी.12 के अनुसार जप्ती की कार्यवाही किये जाने के संबंध में कथन किये हैं । साक्षियों का यह भी कथन है कि वे अभियुक्तों को पहचानते हैं । साक्षियों का यह भी कथन है कि पुलिस ने वजन स्लिप, पर्चियां, चेक आदि दस्तावेज जप्त किये थे और उसकी एक सुची बनायी थी । बचाव-पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी अशोक (अ.सा.4) ने स्वीकार किया है कि पंचनामा बनाया उस समय दिन के 11 या 12 बजे उनकी फैक्ट्री बंद थी, लिखा-पढ़ी फैक्ट्री के कार्यालय में हुई थी, उस समय पुलिस और फैक्ट्री वालों के अलावा वहां अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं था तथा अभियुक्त देवीदास वहां पर था । पुलिस ने उसे बताया था कि अभियुक्त देवीदास से पुलिस ने दस्तावेज जप्त किये थे । साक्षी ने स्वीकार किया है कि उनकी शुगर फैक्ट्री में जब कोई व्यक्ति आता है और जाता है, तब उसके नाम और समय का इंड्राज उनकी फैक्ट्री में किया जाता है । आरोपी देवेन्द्र की ओर से किये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि जप्ती की कार्यवाही चलने के दौरान वह बीच में आया था, जो चेक जप्त हुए थे, उन पर डायरेक्टर डॉ. जी.पी. तुलसीयान के हस्ताक्षर थे । साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसने प्र.पी.12 के पंचनामे पर बिना पढ़े हस्ताक्षर किये थे ।

19. साक्षी महादेव (अ.सा.5) ने यह भी कथन किया है कि अभियुक्त देवीदास द्वारा गन्ना लाने वाले किसान को परमिट दिया जाता था । आरोपी देवीदास की ओर से प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि राजेश उनकी फैक्ट्री के मालिक गिरधारीलाल का लड़का है, उसके साथ सीताराम शर्मा थाने पर आया था । साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसने 7 लाख रुपये में अपना घटवा स्थित खेत रमेश मुकाती को बेचा था । साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया कि उनकी फैक्ट्री में ऐसी मीटिंग हुई थी कि फैक्ट्री में गड़बड़ी हुई है, जिसे पकड़ना है ।

20. साक्षी अनिल (अ.सा.6) का कथन है कि वह नर्मदा शुगर मील में कृषि सहायक था, उसका काम खेतों में गन्ने की देखभाल करना, गन्ने की बीमारी के बारे में जानकारी लेना तथा शाम के समय फैक्ट्री में दिन भर के कार्यों का विवरण देना था । उसे परिवहन पर्ची ऑफिस से मिला करती थी तथा डी.एन. पाटील उसके अधिकारी थे । साक्षी का यह भी कथन है कि जब कोई वाहन बाहर से गन्ना लेकर आता था, तो फैक्ट्री के गेट के सामने परिवहन की पर्ची काटने पर वह अंदर जाता था । बचाव-पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि कृषकों के खेतों में उनके कटाई को देखकर ही एडवांस में पर्ची दे आते थे, उस समय उसके साथ फैक्ट्री में बहुत से लोग थे । साक्षी ने स्वीकार किया कि डी.एन. पाटील नौकरी छोड़कर चले गये थे । आरोपी देवेन्द्र गुहा की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि परिवहन पर्ची छपी हुई होती थी, जो उसे फैक्ट्री से मिलती थी । परमिट पर्चियों में हस्ताक्षर वह करता था ।

21. साक्षी सुरेश (अ.सा.1), साबिर (अ.सा.2) तथा अनिल (अ.सा.6) प्रकरण में दस्तावेज जप्त किये जाने के साक्षी हैं, किंतु उक्त साक्षियों ने केवल प्र.पी.1 से लेकर प्र.पी.10 पर अपने हस्ताक्षरों के अतिरिक्त अन्य कोई कथन अभियोजन के समर्थन में नहीं किया गया है । उक्त साक्षियों से सूचक-प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षियों ने अभियोजन के सभी सुझावों से इन्कार किया है तथा अभियुक्तों को पहचानने से भी इन्कार किया है । बचाव-पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में सुरेश (अ.सा.1) तथा दादूराम (अ.सा.7) ने स्वीकार किया है कि वह पुलिस की ओर से साक्ष्य देने के लिये करीब 80 से 90 बार आ चुके हैं और पुलिस उसे हस्ताक्षर के लिये बुला लेती है । ऐसी स्थिति में उक्त साक्षियों के कथन विश्वसनीय नहीं रह जाते हैं ।

22. साक्षी चैतन्य कुमार वर्मा (अ.सा.12) का कथन है कि वह नर्मदा शुगर मील स्थित ठीकरी एवं अंजड़ के बीच में सुपरवाईजर के पद पर जनवरी 95 से लेकर 11 माह तक पदस्थ रहा था । उसके द्वारा अंजड़ एरिया से उक्त क्षेत्र के गन्ना बेचने वाले किसानों का गन्ना शुगर मील तक पहुँचाने और किसानों को गन्ना लाने के लिये प्रोत्साहित करना, उसकी देखभाल करना और उसे कटवाना था । अंजड़ में सुपरवाईजर होने से गन्ना विक्रय करने वालों को परिवहन पर्ची देता था, जो कि शुगर मील में गन्ना अंदर जाने के लिये गेट पास माना जाता था । उक्त पर्ची में वाहन का नंबर लिखता था, जिससे कि गन्ना लाया गया जाता था और जिस किसान का गन्ना होता था, उसका नाम भी लिखता था । उक्त परिवहन पर्ची जब विक्रय करने वाला वाहन उनके ऑफिस पर आता था, तब देता था और यह भी देखता था कि उसमें गन्ना है या नहीं । आरोपी देवीदास पाटील उस समय गन्ना विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत् था और उसके आदेशानुसार ही संपूर्ण कार्य होता था । देवीदास पाटील के

आदेशानुसार गन्ने के परिवहन से लेकर चैक पर हस्ताक्षर के अतिरिक्त भुगतान तक का समस्त कार्य होता था । उनके द्वारा जो परिवहन पर्ची दी जाती थी, उसको देखे बिना गन्ने ले जाने वाला कोई भी वाहन शुगर मिल के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था । उसने अन्य कोई निर्देशों के अतिरिक्त परिवहन पर्ची काटे जाते समय क्या प्रक्रिया अपनायी है, इसका कोई निर्देश उसे देवीदास पाटील ने नहीं दिया था । वह अभियुक्त देवेन्द्र गुहा को नहीं जानता है । वह शुगर मिल में क्या करता था, इसकी जानकारी नहीं है । वह अभियुक्त विजय शंकर को जानता है । जो परिवहन पर्ची वाहन की वे लोग काटते थे, उक्त वाहन को शुगर मील के अंदर जाते ही देखने का उसको कभी कोई कार्य नहीं पड़ा, लेकिन वे प्रतिदिन अंजड़ सेक्शन ऑफिस में जिन वाहनों की पर्ची काटते थे, उसका रेकार्ड शुगर मील में किंग डिपार्टमेंट में भेजते थे । उसकी पदावधि के दौरान अंजड़ सेक्शन के अंदर आने वाले गांव अछोदा के सोहन मंडलोई के नाम का जितनी राशि का चेक कटा था, उससे अधिक राशि का भुगतान बैंक द्वारा उक्त चेक के आधार पर किया गया था, इस प्रकार से बैंक वालों ने सोहन मंडलोई का पता करने के लिये शुगर मील में गये थे, उक्त सोहन मंडलोई अंजड़ सेक्शन से संबंधित होने के कारण बैंक वालों को उनके पास भेज दिया गया था, किंतु उक्त सोहन मंडलोई की परिवहन पर्ची उनके यहां से जारी नहीं की गयी थी और उनके पास सोहन मंडलोई का कोई रेकार्ड भी नहीं था । शुगर मील से मौखिक आदेश प्राप्त होने पर उन्होंने ग्राम अछोदा जाकर सोहन मंडलोई की जानकारी ली थी तो वहां यह मालूम पड़ा कि सोहन नाम का कोई व्यक्ति गांव में नहीं है, गांव में एक 10-12 साल का बच्चा सोहन मंडलोई नाम का मिला था, गांव में किसी के द्वारा भी गन्ना बोना नहीं पाया था और ना ही काटना पाया गया था । उसके बाद वे लोग शुगर मील में गन्ने की आवक के संबंध में जांच करने गये थे तो वहां पता चला था कि सोहन मंडलोई के नाम से मिल में फर्जी रूप से गन्ना विक्रय किया था । जो चेक गन्ना विक्रय करने वाले किसान को दिया जाता था, उक्त किसान के हस्ताक्षर को अभियुक्त देवीदास पाटील द्वारा सत्यापित किया जाता था ।

23. साक्षी का यह भी कथन है कि उसके क्षेत्र के ऐसे कृषक जो उनके यहां दर्ज ना हों, वे भी गन्ना विक्रय हेतु सीधे शुगर मिल में जा सकते थे, लेकिन उसको सबसे पहले कैंट डिपार्टमेंट में जाकर परिवहन पर्ची बनावाना आवश्यक था, उसके बिना शुगर मिल में प्रवेश संभव नहीं था । जांच में उसने देखा कि तौल पर्ची पर जो परिवहन पर्ची लगायी जाती थी, वह सोहन मंडलोई के केस में उक्त परिवहन पर्ची पर अंजड़ सेक्शन के किसी कर्मचारी या कैंट डिपार्टमेंट के किसी सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं थे । साक्षी का यह भी कथन है कि उसका काम फील्ड का था, इसलिए नहीं बता सकता था कि गबन किन-किन के द्वारा किया गया था, लेकिन साक्षी ने स्पष्ट किया कि लगभग 32-35 लाख रुपये का गबन होना पाया गया था । परिवहन पर्ची फर्जी बनाकर और उसके आधार पर तौल पर्चियां फाड़कर उसके आधार पर चैक बनाकर फर्जी भुगतान कर गबन किया गया । पुलिस ने उसके कथन लिये थे । बचाव-पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि सोहन मंडलोई को शुगर मिल से दिया गया चेक फर्जी पैमेंट निकला, तब उन्होंने विचार किया कि शुगर मील में कुछ गड़बड़ी चल रही है, जिसकी जांच करनी पड़ेगी और सब से पूछताछ की गयी थी और इस संबंध में मीटिंग हुई थी । साक्षी ने स्वीकार किया है कि उक्त मीटिंग में चतुर्वेदी वर्माया एवं राजीन रंजन गायब थे और तलाश करने पर पता चला था कि दोनों धामनोद की लाज में रुके हैं उस समय उसके साथ सीताराम शर्मा

और बहुत सारा स्टॉफ था । साक्षी ने स्वीकार किया कि लाज में चतुर्वेदी वर्माया के कब्जे से स्पीकर के डिब्बे के अंदर नोटों की गड़ड़ी जमी हुई मिली थी और उसके सामने लगभग 3-4 लाख रुपये की गिनती हो चुकी थी । साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया है कि उसे बाद में पता चला था कि चतुर्वेदी वर्माया के लाज के कमरे से जो रूपया प्राप्त हुआ था, वह 12 से 15 लाख रुपये मिला था । साक्षी ने स्वीकार किया है कि सोहन मंडलोई वाला चेक उसने देखा था, बैंक वालों ने उक्त चेक के संबंध में रुपये 6,000/- ज्यादा पैमेन्ट कर दिया था । उसने सोहन मंडलोई का जो चेक देखा था, उस पर शुगर मिल के डायरेक्टर के हस्ताक्षर थे । साक्षी ने स्वीकार किया कि वह आरोपी देवीदास पाटील के अधीनस्थ सुपरवाइजर का काम करता था और आरोपी देवीदास पाटील शुगर मिल के अंदर किसान के नाम का चेक बनाकर, आने पर उसे देखकर उस पर किसान के हस्ताक्षर सत्यापित कर उसे चेक प्रदाय करने के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं करता था । साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि देवीदास पाटील के जाने के बाद उक्त घोटाले का पता चला था । साक्षी ने स्वीकार किया कि जो पर्चियां उसने पुलिस को दी थी, उसमें सोहन मंडलोई की पर्ची मिली थी और उक्त पर्चियां उसने कार्यालय में जमा कर दी थी, जिसमें तौल पर्चियां भी संलग्न थी । साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि गन्ने का मिल के अंदर तौल बगैर परिवहन पर्ची नहीं होता था ।

24. साक्षी ओमप्रकाश (अ.सा.9) का कथन है कि दिनांक 05.05.96 को वह थाना ठीकरी में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था । उक्त दिनांक को उसने नर्मदा शुगर फैक्ट्री घटवा के सीताराम शर्मा के द्वारा थाना ठीकरी में पेश किये जाने पर साक्षी बाबूलाल एवं सुरेश के समक्ष पंचनामा बनाया था, दस्तावेज जप्त किये थे, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं । जो दस्तावेज उसने जप्त किये थे, वे प्र.पी.14 से लेकर प्र.पी.17 के हैं, शेष दस्तावेजों का उल्लेख भी उसने प्र.पी.9 में किया है । बचाव-पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसे मौखिक याद नहीं है, लेकिन जप्त दस्तावेजों की विषय वस्तु क्या थी और वे किस संदर्भ में थे, इसका उल्लेख उसने प्र.पी.9 में किया है । साक्षी ने स्वीकार किया है कि सीताराम शर्मा ने उक्त दस्तावेज लाकर दिये थे, वह कहाँ से लाये थे, यह नहीं बताया था ।

25. साक्षी कृष्णमुरारी त्रिपाठी (अ.सा.8) का कथन है कि दिनांक 09.06.95 को वह थाना ठीकरी में थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ था, उक्त दिनांक को उसने प्र.पी.11 के लिखित पत्र के आधार पर प्र.पी.18 की प्रथम सूचना रिपोर्ट 3 प्रतियों में दर्ज की थी, जिसके अंतिम पृष्ठ पर ए से ए, बी से बी एवं सी से सी भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं । उसने अनुसंधान के दौरान साक्षी सीताराम शर्मा, चैतन्य कुमार, ओमप्रकाश, अनिल शर्मा, मुकेश और महादेव के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे । उसने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था । अभियुक्त देवीदास ने उसे मोटरसायकल जप्त कराने की जानकारी दी थी, किंतु मोटरसायकल जप्त नहीं की गयी थी, क्योंकि अभियुक्त का कोई रिमाण्ड नहीं मिला था । उसने दिनांक 11.06.95 को ए.पी. विश्वकर्मा और अशोक के सामने 8 चैक, वजन पर्ची के दस्तावेज प्र.पी.12 के अनुसार जप्त किये थे । बचाव-पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि प्र.पी.11 की रिपोर्ट सीताराम शर्मा थाने लेकर आए थे । साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि प्र.पी.11 में यह नहीं लिखा है कि किस आरोपी ने अपराध में क्या

काम किया था। साक्षी ने यह याद होने से इन्कार किया कि सोहन मंडलोई के वाहन का जो नंबर था, सीताराम शर्मा द्वारा उसे उपलब्ध कराया था या नहीं। साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया कि उसने अभियुक्त देवीदास के हस्ताक्षर 9 चैकों पर थाने पर करवाए थे। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसे लिखित में ऐसा नहीं बताया गया था कि अलग-अलग किस आरोपी ने क्या क्या गबन किया है। साक्षी ने यह याद होने से इन्कार किया कि उसने जांच के दौरान अभियुक्त देवीदास के नमूना हस्ताक्षर प्राप्त किये हैं या नहीं। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसे प्र.पी.11 से यह जानकारी हो चुकी थी कि देवीदास दिनांक 30.03.95 को कारखाने से नौकरी छोड़कर जा चुका है।

26. अभियुक्त देवेन्द्र गुहा की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि प्र.पी.11 में जिन लोगों के नाम का उल्लेख है, उनमें किसी के पिता का नाम और आयु का उल्लेख नहीं है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उसने ए.के. गुहा को गिरफ्तार नहीं किया था और प्र.पी.11 की रिपोर्ट में चेकों का क्रमांक, चेक की राशि, बैंक का नाम आदि का उल्लेख नहीं है और प्र.पी.11 की रिपोर्ट में देवेन्द्र गुहा के नाम का उल्लेख नहीं है। साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया कि उसने केवल सीताराम शर्मा के कथन के आधार पर ही चेकों को कूट-रचित मान लिया था। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने अधिक भुगतान के बारे में बैंक कर्मचारी या अधिकारी के बयान नहीं लिये। साक्षी ने स्वीकार किया कि उक्त जांच में कारखाने का कोई स्टॉक रजिस्टर जप्त नहीं किया, जिससे यह मालूम पड़ता कि कितना माल आया था और कितना कम हुआ था। साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया है कि उसने सीताराम शर्मा के कहने पर सभी साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये थे।

27. साक्षी राकेश कुमार नयन (अ.सा.10) का कथन है कि दिनांक 22.10.95 को उसने थाना ठीकरी के अपराध क्रमांक 159/95 की विवेचना के दौरान अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था और सीताराम शर्मा द्वारा दिनांक 08.01.96 को उसके सामने पेश करने पर मेन गेट रजिस्टर 3, फर्जी बिल, फर्जी परिवहन पर्चियां, वजन पर्चियां, किसानों के फर्जी बिल, प्रतिदिन की गन्ना खरीदी रिपोर्ट, फर्जी किसानों के नाम की एक सुची, पैमेन्ट अग्रिम रजिस्टर सुची को जप्त किया गया था, जिसमें फर्जी नामों को लाल स्याही से घेरे में गोल किया है, जिसमें भुगतानकर्ता एवं सत्यापनकर्ता के नाम का उल्लेख है। जप्ती पंचनामा प्र.पी.10 का है, जिसके डी से डी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने अभियुक्तों की आदर्श लिखावट, नमूना लिखावट एवं फर्जी प्रविष्टियां एवं धोखाधड़ी के संबंध में दस्तावेज अनुसंधान के दौरान हासिल किये थे। उक्त सभी लिखावट एवं दस्तावेज पुलिस अधीक्षक खरगोन के माध्यम से हस्तलेख एवं हस्ताक्षर विशेषज्ञ के पास जांच हेतु भेजे गये थे तथा प्रदीप कुमार चौबे, चतुर्वेदी वर्माया के फरार होने से उनके विरुद्ध अनुपस्थिति में अभियोग-पत्र प्रस्तुत किया गया था। बचाव-पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि जप्ती पंचनामे प्र.पी.10 द्वारा जो दस्तावेज जप्त किये गये थे, वे सीताराम शर्मा ने प्रस्तुत किये थे, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया है कि उक्त दस्तावेजों के फर्जी होने की जानकारी उसे सीताराम शर्मा द्वारा दी गयी थी। साक्षी ने स्पष्ट किया है कि विवेचना में पूर्व में ही उनके नाम आ चुके थे। साक्षी ने इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया कि उसने जो दस्तावेज जप्त किये हैं, उन पर अभियुक्तों के नाम लिखे होने से ही वे उनके द्वारा लिखे जाना बता रहा है। साक्षी ने स्वीकार किया कि जिन दो आरोपियों के विरुद्ध उसने फरारी में चालान पेश किया है, उनके पते उसे शुगर फैक्ट्री से प्राप्त

हुए थे । साक्षी ने यह स्पष्ट किया है कि यह आवश्यक नहीं है कि केस-डायरी के अनुसंधान के दौरान जो भी बातें आती हैं, उन सभी का उल्लेख चालान में किया जाए, साक्षी ने स्पष्ट किया कि चालान सकारात्मक साक्ष्य का अंतिम निष्कर्ष है और अपराध से संबंधित जो महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत किये जाते हैं, वे साक्ष्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं । साक्षी ने स्वीकार किया कि विवेचना के दौरान जप्ती के पूर्व इस बात की जानकारी हो गयी थी कि आरोपियों से संबंधित दस्तावेज सीताराम शर्मा के पास ही हैं ।

28. साक्षी ए.के. दास (अ.सा.11) का कथन है कि वह पुलिस मुख्यालय भोपाल में हस्तलिपि विशेषज्ञ के पद पर वर्ष 1988 से कार्यरत है, उसने दस्तावेज परीक्षक, जालसाजी का पता लगाने तथा इनसे संबंधित विषयों पर डेढ़ वर्षीय डिप्लोमा भारत सरकार के राष्ट्रीय अपराध एवं विविध विज्ञान संस्थान विधि मंत्रालय नईदिल्ली से प्राप्त किया है, साथ ही 6 माह का व्यवहारिक प्रशिक्षण भारत सरकार की जी.ई.क्यू.डी. हैदराबाद स्थित प्रयोगशाला से प्राप्त किया है । उसे प्रकरण से संबंधित दस्तावेज पुलिस अधीक्षक खरगोन के माध्यम से दिनांक 03.06.96 को प्र.पी.19 के पत्र द्वारा प्राप्त हुए थे, जिसमें क्यू 1 से लेकर क्यू 94 तक के दस्तावेज विवादित थे, उक्त दस्तावेजों के परीक्षण एवं मिलान हेतु जो सामग्री भेजी गयी थी, उसे उसके द्वारा एस-1 से एस-3, आर-1 से आर-2, एन-1 से एन-12 चिह्नित किया गया है, उसने मूलतः विवादित दस्तावेजों का परीक्षण सावधानीपूर्वक नमूना हस्तलेख के माध्यम से अपनी प्रयोगशाला में किया था, जिसके उपरान्त उसकी राय है :-

1	जिस व्यक्ति ने लाल घेरे के अंदर जिसे उसके द्वारा एस-1 से एस-3 एवं एन-1 मार्क किया है, उसी व्यक्ति द्वारा जिसे उसने लाल घेरे में क्यू-1 से क्यू-16 मार्क किया है, लिखा है ।
2	जिस व्यक्ति द्वारा लाल घेरे के अंदर चिह्नित आर-1 से आर-2 लिखा है, उसी व्यक्ति द्वारा लाल घेरे में चिह्नित क्यू-17 से क्यू-82 को लिखा गया है ।

29. शेष चिह्नित जो दस्तावेज थे, उनके संबंध में अभिमत देने हेतु आवश्यक डाटा उसके पास उपलब्ध नहीं था, इसलिए उक्त शेष चिह्नों के संबंध में कोई निश्चित अभिमत उसके द्वारा दिया जाना संभव नहीं था । साक्षी ने उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.20 एवं अभिमत प्रतिवेदन प्र.पी.21 और उनके ए से ए भागों पर अपने हस्ताक्षर भी प्रमाणित किये हैं ।

30. बचाव-पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि पुलिस अधीक्षक खरगोन के पत्र प्र.पी.19 के माध्यम से उसे भेजे गये दस्तावेज उसके परीक्षण हेतु पर्याप्त ना होने पर उसके द्वारा पुनः पुलिस अधीक्षक खरगोन को दिनांक 03.03.97 को पत्र लिखा गया था, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक द्वारा उसे पुनः मिलान सामग्री के रूप में समस्त आरोपियों के नमूना हस्ताक्षर 6-6 प्रति में प्राप्त कर उसके पास भेजे गये थे । साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि जिन आरोपियों के हस्ताक्षर प्राप्त किये थे, उनके नाम नहीं बता सकता । साक्षी ने स्पष्ट किया है कि उसे आरोपियों के पुलिस अधीक्षक खरगोन के माध्यम से चाहे गये हस्ताक्षर 6-6 प्रति में प्राप्त नहीं हुए थे, बल्कि पुलिस अधीक्षक खरगोन ने उसे सूचना दी थी कि

सभी आरोपी जमानत पर छूट गये हैं, इसलिए उनके नमूना हस्ताक्षर प्राप्त नहीं किये जा सके हैं और पूर्व में भेजी गयी सामग्री पर ही वह अपना अभिमत दे, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसके द्वारा अपर्याप्त सामग्री के आधार पर अपना अभिमत दिया गया है। साक्षी ने स्पष्ट किया कि जिन आरोपियों के संबंध में उसके पास पर्याप्त मिलान सामग्री थी, उनके संबंध में उसने अपना अभिमत दिया है और जिनके संबंध में डाटा पूर्णरूप से उपलब्ध नहीं था, उनके संबंध में कोई निश्चित मत नहीं दिया है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उसने अपनी जांच में आरोपियों के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर या हस्तलेख का मिलान नहीं किया है। साक्षी ने स्वीकार किया कि आरोपी के नमूना हस्ताक्षर उसके पास मिलान हेतु भेजे गये थे, वे न्यायालय के द्वारा अभिप्राप्त नहीं हुए हैं। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने अपनी परीक्षण रिपोर्ट एवं अभिमत रिपोर्ट दिनांक 20.11.01 को पुलिस अधीक्षक खरगोन को भेजी थी। आरोपी राजेश और विजयशंकर की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि जो नमूना हस्ताक्षर उसके पास भेजे गये थे, वे उसके सामने नहीं लिये गये थे।

31. अभियुक्त देवीदास पाटील (ब.सा.1) द्वारा बचाव साक्षी के रूप में स्वयं का परीक्षण कराया गया है। अभियुक्त का कथन है कि दिनांक 30 मार्च 1995 को वह घटवां की शुगर मील से त्याग-पत्र देकर चला गया था, त्याग-पत्र देने के बाद वह शहादा में रहता था, रात को 2 बजे ठीकरी पुलिस आई और उसे घटवा शुगर मील की गाड़ी में बैठाकर ठीकरी थाने लेकर गयी थी, वहां पर उससे रात को 10 बजे चेक बुक पर चेक के पीछे हस्ताक्षर करवाये थे और उसके बाद उसे बड़वानी जेल भेज दिया गया था। अभियोजन की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया है कि वह घटवां शुगर मील में प्रमुख गन्ना विकास अधिकारी के पद पर पदस्थ था, उसने जिन चैक्स पर हस्ताक्षर किये वह हस्ताक्षर जैसे वह आमतौर पर करता है, वैसे ही किये थे, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि वह स्वयं को बचाने के लिये असत्य कथन कर रहा है।

32. बचाव-पक्ष की ओर से घटवां शुगर मील के अधिकारी एवं थाना ठीकरी से जवाब रजिस्टर सहित उपस्थित रहने के लिये आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया था, लेकिन उक्त दस्तावेज अभियोजन की ओर से उपलब्ध नहीं कराया गया तथा बचाव-पक्ष की ओर से थाना ठीकरी के प्रधान आरक्षक पीरचंद चौधरी (ब.सा.2) का बचाव-साक्षी के रूप में परीक्षण कराया गया है। उक्त साक्षी का यह कथन है कि न्यायालय द्वारा वर्ष 1995 से 96 के बैंक खातों के संबंध में विवरण एवं सीताराम शर्मा द्वारा जांच से संबंधित दस्तावेज न्यायालय में पेश करने के लिये निर्देशित किया गया था, लेकिन उक्त दस्तावेज पुलिस के रेकार्ड में उपलब्ध नहीं हैं, इस आशय का पत्र उसके द्वारा प्र.पी.1 का जारी किया गया था। साक्षी का यह भी कथन है कि उक्त रेकार्ड नष्ट कर दिया गया है, लेकिन किसके द्वारा नष्ट किया गया है, यह स्पष्ट नहीं है। अभियोजन की ओर से पूछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया है कि थाने का रेकार्ड अत्यधिक पुराना होने से प्रक्रिया अनुसार नष्ट किया जाता है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि न्यायालय द्वारा चाहा गया रेकार्ड थाने के मालखाने में ढूँढा गया था, लेकिन उपलब्ध नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में बचाव-पक्ष द्वारा फरियादी सीताराम शर्मा (अ.सा.3) द्वारा जो दस्तावेज थाने पर देना बताया गया है और अभियोजन की ओर से पेश नहीं किया गया है तो ऐसी स्थिति में 'साक्ष्य अधिनियम' की धारा-114 के दृष्टान्त

‘एफ’ के अनुसार यह उपधारणा की जा सकती है कि उक्त साक्ष्य यदि पेश किया जाता तो वह बचाव-पक्ष के अनुकूल होता ।

33. आरोपीगण देवीदास पाटील की ओर से उसके अधिवक्ता श्री पंडित ने लिखित तर्क प्रस्तुत करते हुए अभियुक्त के विरुद्ध अपराध प्रमाणित नहीं होना बताया तथा अभियुक्त को दोषमुक्त किये जाने की प्रार्थना इस आधार पर की है कि उक्त अभियुक्त द्वारा दिनांक 30.03.95 को फैंक्ट्री की नौकरी छोड़ी गयी है तथा अपराध की जानकारी और घटना उसके बाद हुई है, फरियादी स्वयं के कथन उक्त अपराध के संबंध में विश्वसनीय नहीं हैं । शेष अभियुक्तों के अधिवक्ता ने मौखिक तर्क करते हुए अभियुक्तों को दोषमुक्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है ।

34. स्पष्ट रूप से साक्षी सीताराम शर्मा (अ.सा.3) ने अभियुक्तों को पहचानने और उनके द्वारा शुगर मील में कार्यरत् होने के दौरान शुगर मील में बिना गन्ना आए हुए उनके द्वारा चेक और अन्य दस्तावेज फर्जी रूप से तैयार किये जाने और उसका उक्त भुगतान फर्जी कृषकों को किये जाने के संबंध में कथन किया है, लेकिन सीताराम शर्मा (अ.सा.3) ने स्वयं स्वीकार किया है कि बैंक ने लिखित रूप से जो पत्र उन्हें भेजा था, वह पत्र उसने पुलिस को नहीं दिया था और बैंक ने उक्त चेक भी उन्हें नहीं दिया था । साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि चेक में व्यक्ति के पूरे पते का उल्लेख नहीं होता है तथा काउंटर पार्ट में जिस बिल के बदले में चेक बनाया जाता है, उसका उल्लेख होता है । साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उसने बैंक से सूचना मिलने पर स्वयं जांच की थी, लेकिन उस जांच से संबंधित कोई भी दस्तावेज फरियादी ने पुलिस को नहीं दिया । साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया कि उसने करीब 250 प्रकरणों में गलत इंद्राज होना पाया था और उसकी सुची भी पुलिस को दी थी, लेकिन ऐसी कोई सुची अभियोग-पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं है । साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसने अभियुक्त चतुर्वेदी वर्मोर्य को धामनोद की लाज से पकड़ा था और उसके पास से 11 लाख रुपये नकद, 4 लाख के चेक और 94 हजार का ड्राफ्ट प्राप्त किया था, लेकिन साक्षी चैतन्य कुमार वर्मा (अ.सा.12) ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि चतुर्वेदी वर्मोर्य के कब्जे से नोटों की गड़्डी स्पीकर के डिब्बे में मिली थी तथा उसके सामने लगभग 3-4 लाख रुपये की गिनती हो चुकी थी, उसके बाद उसे वहां से हटा दिया गया था । होटल में वे लोग खाना खाने रुके थे, वहां से चतुर्वेदी वर्माया बहाना करके भाग गया था । साक्षी ने सोहन मंडलोई के नाम का चेक देखना स्वीकार किया है, लेकिन उक्त चेक प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया है । साक्षी ने स्वीकार किया है कि सोहन मंडलोई के चेक पर हस्ताक्षर मिल के डायरेक्टर के थे जो कि इस प्रकरण में अभियुक्त नहीं है । साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि आरोपी देवीदास पाटील शुगर मिल के अंदर किसान के नाम का चेक बनकर आने पर उसे देखकर किसान के हस्ताक्षरों को सत्यापित कर उसे प्रदान करता था, इसके अतिरिक्त उसका अन्य कोई कार्य नहीं था । साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि देवीदास पाटील के जाने के बाद घोटाले का पता चला था ।

35. इस प्रकार उक्त महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर साक्षी सीताराम शर्मा (अ.सा.3) तथा साक्षी चैतन्य कुमार वर्मा (अ.सा.12) के कथनों में विरोधाभास हैं । सीताराम शर्मा (अ.सा.3) ने यह भी स्वीकार किया है कि उनकी कंपनी में ऑडिट रिपोर्ट में जो भी उल्लेख होता है, वह डायरेक्टर द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी के आधार

पर ही उल्लेखित किया जाता है । साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि जब तक उसे वरिष्ठ अधिकारियों से जानकारी नहीं मिली, तब तक उसे गड़बड़ी की कोई जानकारी नहीं हुई थी । साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि सीधे उसे या उनकी फ़ैक्ट्री को चेक के अधिक भुगतान की सूचना नहीं दी गयी थी । साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने पुलिस रिपोर्ट में यह उल्लेख कर दिया था कि जिस व्यक्ति के नाम से चेक जारी किया गया था, उसके द्वारा गन्ने की फसल नहीं बोयी गयी थी । साक्षी ने स्वीकार किया कि बिल आरोपी देवीदास नहीं बनाता था, उसके अधीनस्थ कर्मचारी बनाते थे, सत्यापन एवं भुगतान का प्रमाणीकरण देवीदास द्वारा किया जाता था । साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि प्र.पी.11 की लिखित रिपोर्ट के साथ विवरण एवं अन्य दस्तावेज पुलिस को नहीं दिये थे । साक्षी ने स्वीकार किया कि पुलिस में रिपोर्ट करने के बाद उन्होंने फ़ैक्ट्री का कोई ऑडिट रेकार्ड नहीं रखा । साक्षी ने स्वीकार किया कि प्र.पी.1 से प्र.पी.110 की पर्चियों पर आरोपी देवेन्द्र गुहा का नाम और उसके हस्ताक्षर नहीं हैं । साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि बैंक द्वारा सोहन मंडलोई के नाम से फर्जी तौर पर पैसा निकालने के संबंध में उनकी फ़ैक्ट्री ने सोहन मंडलोई के नाम से कोई रिपोर्ट नहीं की थी ।

36. साक्षी अनिल (अ.सा.6) ने यह स्वीकार किया है कि वाहन बाहर से गन्ना लेकर आता था तो फ़ैक्ट्री के गेट के सामने परिवहन पर्ची काटने पर अंदर जाता था, उन सारी पर्चियों की अलग से रजिस्टर में इन्ट्री गेट पर जाती थी । साक्षी ने पुलिस को कोई भी कथन देने से इन्कार किया है । साक्षी ने स्पष्ट कथन किया कि उसने पुलिस को ऐसा कथन नहीं दिया था तथा यह अस्वीकार किया है कि उसे फर्जी पर्चे बनाने के लिये डी.एन. पाटील ने दबाव डाला था ।

37. साक्षी कृष्णमुरारी त्रिपाठी (अ.सा.8) ने यह स्वीकार किया है कि प्र. पी.11 की लिखित रिपोर्ट में देवेन्द्र गुहा के नाम का उल्लेख नहीं है । साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने कारखाने से ऐसा कोई विवरण या अभिलेख जप्त नहीं किया है, जिससे यह पता चले कि उक्त 9 चैकों की कुल राशि कारखाने के किस फण्ड से कम हुई थी । उसने प्र.पी.11 में उल्लेखित कथित 250 प्रकरणों के कोई भी दस्तावेज जप्त नहीं किये हैं । साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने कारखाने का कोई स्टॉक रजिस्टर जप्त नहीं किया था, जिससे यह पता चलता कि कितना माल आया था और कितना कम हुआ है ।

38. स्पष्ट रूप से अभियोजन के मामले का आधार साक्षी सीताराम शर्मा (अ.सा.3) द्वारा थाना प्रभारी ठीकरी को की गयी लिखित रिपोर्ट प्र.पी.11 है और उक्त प्र.पी.11 के आवेदन-पत्र में जो तथ्य लिखे गये हैं, उनमें तथा अन्य साक्षियों के न्यायालयीन कथनों में विरोधाभास हैं । यहां तक कि प्र.पी.11 की लिखित रिपोर्ट में ही उसके द्वारा अपने स्वयं द्वारा जांच करना बताया गया है, लेकिन उक्त जांच के दौरान लिये गये कथन एवं शेष संबंधित दस्तावेज अभियोग-पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं किये गये हैं तथा प्र.पी.11 के पृष्ठ क्रमांक 3 में जिन 250 प्रकरणों के संबंध में जिसका अपराध घटित होना बताया गया है, उससे संबंधित भी कोई दस्तावेज पुलिस को उपलब्ध नहीं कराये गये हैं और ना ही प्र.पी.11 के साथ उक्त 250 प्रकरणों की कोई सूची प्रस्तुत की गयी है । प्र.पी.1 की रिपोर्ट में ही उल्लेखित है कि चेक श्री चतुर्वेदी वर्माया (फरार आरोपी) द्वारा बनाये गये हैं तथा फर्जी वजन स्लिप बनाने का कार्य बैचनप्रसाद (फरार आरोपी) द्वारा किया गया है । साक्षी सीताराम शर्मा (अ.सा.3) ने चतुर्वेदी वर्माया

का फरार होना बताया गया है तथा अपने कथन के दौरान उससे कोई भी भुगतान अपने द्वारा जप्त नहीं करना बताया, लेकिन साक्षी चैतन्य कुमार वर्मा (अ.सा.12) ने चतुर्वेदी वर्माया के पास से 4 लाख रुपये से अधिक का भुगतान जांच के दौरान जप्त होना बताया है, जिसका कोई भी स्पष्टीकरण या उक्त भुगतान के संबंध में कोई भी जानकारी अभियोजन के किसी अन्य साक्षी ने प्रस्तुत नहीं की गयी है, इससे ऐसा प्रतीत होता है कि फरियादी पक्ष द्वारा जानबूझकर प्रकरण के तथ्यों को छिपाया जा रहा है । प्र.पी.11 की लेखी रिपोर्ट में अभियुक्त ए.के. गुहा के नाम का उल्लेख नहीं है, बल्कि पृष्ठ क्रमांक 2 में फैक्ट्री पर बिल बनाने का कार्य ए.के. गुप्ता पहले लिखा गया था, जिसे बाद में काटकर ए.के. गुहा किया गया है, लेकिन साक्षी चैतन्य कुमार वर्मा (अ.सा.12) ने उक्त अभियुक्त देवेन्द्र गुहा को पहचानने से इन्कार किया गया है । शेष अभियुक्त विजय शंकर यादव के संबंध में भी किसी अभियोजन साक्षी ने कोई कथन नहीं किये हैं तथा अभियुक्त राजेश बाबू शर्मा के नाम के संबंध में भी लिखित रिपोर्ट प्र.पी.11 में काटछांट की गयी है ।

39. साक्षी ए.के. दास (अ.सा.11) ने विवादित दस्तावेज क्यू-11 से लेकर क्यू-94 पर अभियुक्तों के हस्ताक्षर होने के संबंध में राय दी है, लेकिन अभियुक्तगण उसी फैक्ट्री में कार्यरत रहे हैं, जहां पर अपराध घटित हुआ है तो ऐसी स्थिति में केवल दस्तावेज अभियुक्तों की हस्तलिपि या लिखावट में होना स्वाभाविक है, क्योंकि अभियुक्तों द्वारा उक्त फैक्ट्री में कार्य के दौरान दस्तावेज तैयार किये गये हैं, लेकिन उक्त साक्षी के कथन से यह प्रमाणित नहीं होता कि अभियुक्त देवीदास पाटील, विजय सोलंकी, राजेशबाबू शर्मा, विजयशंकर यादव एवं देवेन्द्र गुहा द्वारा उक्त दस्तावेज षड्यंत्र रचकर जानबूझकर नर्मदा शुगर मील लिमिटेड को बेईमानी से उत्प्रेरित कर उसके साथ छल कारित कर, गन्ने की आवक के बिना मिथ्या व्यक्तियों के नाम से चेक बनाकर प्राप्तकर्ताओं के हस्ताक्षरों की कूट-रचना अन्य सह-अभियुक्तों के साथ मिलकर छल कारित करने के आशय से की गयी थी ।

40. अभियोजन की साक्ष्य उक्त अभियुक्तों द्वारा घटवां शुगर फैक्ट्री के साथ छल कारित करने और उसे बेईमानी से उत्प्रेरित कर मिथ्या बिल बनाकर छल कारित कर, गन्ने की आवक के बिना मिथ्या व्यक्तियों के नाम से चेक बनाकर उसके भुगतान हेतु मिथ्या व्यक्तियों के नाम से चेकों की कूट-रचना कर उनका भुगतान प्राप्त करने के संबंध में परस्पर विरोधाभासी है और अभियोजन उक्त अपराध अभियुक्तों के विरुद्ध संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है ।

41. अतः यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अभियोजन अपना मामला अभियुक्तों के विरुद्ध संदेह से परे प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहा है। अतः यह न्यायालय अभियुक्तगण देवीदास पिता नरसिंह पाटील, विजयसिंग पिता जगन्नाथसिंग सोलंकी, राजेश बाबु पिता रामप्रकाश शर्मा, विजय शंकर पिता मुन्नीलाल यादव, देवेन्द्र कुमार पिता रामधार गुहा को भा.द.वि. की धारा-420, 420/34, 467, 467/34, 468, 468/34 तथा धारा-477(क) के आरोप से दोषमुक्त घोषित करता है ।

42. अभियुक्तगण देवीदास, विजयसिंग, राजेश बाबु, विजय शंकर एवं देवेन्द्र कुमार के जमानत-मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं ।

43. अभियुक्तगण के द.प्र.सं. की धारा-428 के अंतर्गत निरोध की अवधि के प्रमाण-पत्र बनाये जाए ।
44. प्रकरण में शेष अभियुक्तगण फरार हैं, अतः प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जा रहा है ।
45. प्रकरण इस टीप के साथ अभिलेखागार में भेजा जाए कि प्रकरण में शेष अभियुक्तगण फरार हैं, प्रकरण को सुरक्षित रखा जाए ।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे उद्बोधन पर टंकित ।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़ जिला-बड़वानी, म.प्र.

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला-बड़वानी, म.प्र.